2021/50

..यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

..न0:– 1 /2021 तारीखरजू:– 4-2-21

उनवानः– सुगन बाई बनाम प्रेमलता

अपील विरूद्व नामांतकरण स0 1472 दिनांक 02.09.2019

अन्तर्गत धारा 75

दिनांक	फर्द अहकाम	
4/2/21	अपीलांट की और से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने अपील विरूद्व नामांतकरण स0 1472 दिनांक 02.09.2019 (05.09.2019) अन्तर्गत धारा 75 के तहत प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ प्रस्तुत की है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे अन्तर्गत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 26.02.2021 को पेश हो। [signature] उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	545-50 4/2/21
26.2.21	वकील अपीलांट उपस्थित। रेस्पो० 6 की ओर से ग्राम विकास अधिकारी उप०। रेस्पो० नम्बर 2, 3, 5 की ओर से श्री कृष्ण मित्तल Adv. ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट 1, 4 के नोटिस गाईड पर तामील हुए है। उपस्थित नही हो वकील अपीलांट ने पुनः नोटिस जारी कराने का कथन किया। मूल नामा० तलब करे। पत्रावली दि० 10.3.21 को पेश हो। [signature]	[signature] ग्रा.वि.अ. ग्राम [illegible]
10.3.21	वकील अपीलांट उपस्थित। वकील रेस्पो. नं. 2, 3, 5 उपस्थित रेस्पो० नम्बर 1 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पो० नम्बर 4 का नोटिस बाद तामील प्राप्त नही हो वकील अपीलांट को हिदायत की गई कि रेस्पो नं. 4 को उपस्थित करावे। बइन्तजार नोटिस दि० 22.3.21 को पेश हो। नायब तहसीलदार कालवाड से मूल नामा० संख्या 1472/2.9.19 प्राप्त होने पर शामिल किया। दि० 22.3.21 को पेश हो। [signature]	

यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

तारीख	
27/8/21	तकील उभय पक्ष उप०। पत्रावली वास्ते निर्णय नियत है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अपील अधीन नामान्तरण संख्या 1472 दि० 2-9-2019 ग्राम महस्वा खारीज किया जाता है। तथा तहसीलदार टोडाभीम को मूल नामान्तरण के साथ निर्णय प्रति भेजकर लेख है कि गोकुल के वारिसान की जाँच कर पुन: नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली